


371



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

III निगरानी प्रकरण क्रमांक 12017 निगरानी

महिला बरगणा अपा पृतापुत्री नारायण लाल, पत्नीराम दुलारि चौहरी, निवासीग्राम- सन्तपुरा तेहसील रीन जिला मिण्ड, हाल निवासी 17, वटालियन के सामने, जोशीनगर, छटावा रोड मिण्ड-मध्य प्रदेश।

----- प्राथिया

बिराध

1- सुनील कुमार

2- सुधीर कुमार

पुत्रगण वेदप्रकाश शर्मा, निवासीगण ग्राम वसन्तपुरा, तेहसील रीन जिला मिण्ड-मध्य प्रदेश।

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध आवेश एस०डी०बी० महोदय लहार दिनांक 14.12.17 -अन्तर्गत धारा 10 मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1848। प्र०क्र० 04.12-18।बी०१२१ आर०सी० एम०एस० प्र०क्र० 17।12-18।ब-6।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आशाएँ कानून सही नहीं है।
- 2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वल्प एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।
- 3- यह कि, प्रकरण में कानून पुनरावलोकन का कोई आधार न होने से प्रकरण में पुनरावलोकन की अनुमति मांगना स्वम् अनुमति दी जाने की आशा कानून सही नहीं है।
- 4- यह कि, एस०डी०बी० महोदय के न्यायालय में प्राथिया को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में पारित पुनरावलोकन की अनुमति की आशा न केवल कानून के

श्री 22 के अर्जा, प.3. द्वारा आज दि. 20.11.17 को प्रस्तुत बलक ऑफ कोर्ट 20.11.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11-12-17

Maled.


20/12/17

Handwritten mark at the bottom left

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4568

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p>	<p>आदेश या)</p> <p>उसका</p>